कार्यालय अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण,
रायपुर मंडल, पूर्वायतन, गोविन्द सारंग व्यवसायिक परिसर,
(प्रथम तल), न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर–492006, छत्तीसगढ़।
टेलिफोन एवं फैक्स नं. 0771–4218483 एवं 4218484
ई–मेल : circlerai.asi@gmail.com & circleraipur.asi@gov.in
वेब साईट : www.asiraipurcircle.in

भारत सरकार
Government of India

Office of the Superintending Archaeologist
Archaeological Survey of India, Raipur Circle, Poorvayatan
Govind Sarang Commercial Complex, (1st Floor),
New Rajendra Nagar, Raipur-492006, Chhattisgarh
Telephone & Fax No.0771-4218483 & 4218484
E-Mail : circlerai.asi@gmail.com & circleraipur.asi@gov.in
Website: www.asiraipurcircle.in

फा0सं. 13–1/15(67)/14–15/टीएस/ 409 to 411
F.No.13-1/15(67)/14-15/TS/

दिनांक/Dated 9 मई/May 2018

प्रति,

संचालक/सक्षम प्राधिकारी
संस्कृति एवं पुरातत्त्व संचालनालय,
छत्तीसगढ़ शासन, घासीदास संग्रहालय,
सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषयः **राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों तथा कार्य संचालन) नियम 2011 के संशोधन के प्रस्ताव की अधिसूचना**

महोदय,

कृपया विषयान्तर्गत के संबंध में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण निदेशालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र फा0संख्या 1/8/2017–स्मा दिनांक 04.05.2018 एवं भारत का राजपत्र सं 282 दिनांक 01.05.2018 की प्रतिलिपियां इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आगे की कार्रवाई के लिए आपके पास प्रेषित है।

भवदीय

मनोज कुमार कुर्मी

(डॉ मनोज कुमार कुर्मी)
अधीक्षण पुरातत्त्वविद्(प्रभारी)

संलग्न : यथोक्त
प्रतिलिपि

01	निदेशक (स्मारक) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001	– कृपया भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण निदेशालय के संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
02	मेसार्स नैवल प्राईवेट लिमिटेड 54/602, डंगानिया, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड कार्यालय के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़।	– भारत का राजपत्र सं 282 दिनांक 01.05.2018 की प्रतिलिपि, संलग्न है को इस कार्यालय के वेबसाईट के "विधि एवं नियम शीर्ष" तथा "नया शीर्ष" में अपलोड करने का कष्ट करें।

09/05/18

फा. सं.1/8/2017-स्मा.

भारत सरकार

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001.

दिनांक 04.05.2018

विषय : राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तो तथा कार्य संचालन) नियम, 2011 के संशोधन के प्रस्ताव की अधिसूचना

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तो तथा कार्य संचालन) नियम, 2011 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर दिनांक 25.04.2018 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.414(अ) कि छाया प्रति आपके जानकारी एवं अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि उक्त अधिसूचना सामान्य व्यक्तियों के सूचना के लिए आपके मंडल तथा उप मंडल के वेबसाइट पर प्रकाशित करे ।

इसी के साथ उक्त अधिसूचना की छाया प्रति आपके राज्य के लिए अधिसूचित "सक्षम अधिकारी" एवं अन्य अधिकारियो को जानकारी हेतु भेजी जाए ।

उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए ।

संलग्न : अधिसूचना संख्या सा.का.नि.414(अ) कि छाया प्रति

(टी. जे. अलोने)
निदेशक (स्मारक)

सभी अधीक्षण पुरातत्विद / उप. अधीक्षण पुरातत्विद,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
मंडल तथा लघु मंडल

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 2018/वैशाख 11, 1940

No. 282] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 2018/VAISAKHA 11, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 414(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों तथा कार्य संचालन) नियम, 2011 में संशोधान करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को बनाने का प्रस्ताव करती है और एतद् द्वारा जिन्हें उक्त धारा की उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियम, इन प्रारूप नियमों के सरकारी राजपत्र की प्रतियों के जनता को उपलब्ध होने के तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जायेगा।

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हैं तो उन्हें महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (संस्कृति मंत्रालय), 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली – 110001 को अथवा ई मेल directorgeneralasi@gmail.com द्वारा भेजे जा सकते हैं।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी इच्छुक व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों तथा कार्य संचालन) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के संबंध में अध्याय 2 के नियम 3 में -

(1) खंड (क) में "प्रतिमाह अस्सी हजार रुपए प्रतिमास का वेतन" शब्दों के स्थान पर "वेतन और भत्ते" रखे जाएं;

(2) खंड (ख) में "उच्च प्रशासनिक श्रेणी के अनुसार वेतनमान (रु. 67000/- + 3% की दर से वार्षिक वेतनवृध्दि – 79000/-)" शब्दों, आंकडो और चिन्हों के स्थान पर "वार्षिक वेतनवृध्दि के साथ उच्च प्रशासनिक ग्रेड के शुरुआती स्तर के समान वेतन" शब्द रखे जाएं; और

(3) खंड (ग) में "तीन हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएं।

[फा. सं. 1/8/2017-एम]

उषा शर्मा, महानिदेशक

पाद टिप्पणी : प्रधान नियम दिनांक 23 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 636(अ) के द्वारा भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2018

G.S.R. 414(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes in exercise of the powers conferred by Section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) to amend the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, and hereby published as required by sub-section (2) of the said section for the information of all persons likely to be effected thereby, and notice is hereby given that the said rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director General, Archaeological Survey of India (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or by email at directorgeneralasi@gmail.com.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the said period so specified, shall be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called as the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Rule 3 in Chapter II regarding salaries, allowances and conditions of services, in Rule 3.-

(1) in clause (a) for the words, "fixed salary of rupees eighty thousand per month" the words, "salary and allowances" shall be substituted;

(2) in clause (b) for the words, figures and signs "in the Higher Administrative Grade in the scale of pay (Rs.67000/- plus annual increment @3% - 79000/-)", the words "equivalent to entry level to Higher Administrative Grade with annual increment" shall be substituted; and

(3) in clause (c) for the words "Rupees three thousand" the words, "Rupees five thousand" shall be substituted.

[F. No. 1/8/2017-M]

USHA SHARMA, Director General

Foot Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 636(E) dated the 23rd August, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.05.03 16:32:25 +05'30'